मांग संख्या 64
मुख्य शीर्ष 2202

मद कमांक 1-2

सर्वशिक्षा अभियान के राज्यांश हेतु रूपये 510.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 5,10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 3-6

राज्य शासन द्वारा ग्राम छपोरा, जिला जांजगीर में 50 सीटर प्री-मैट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास खोलने का निर्णय लिया गया है । इस पर रूपये 4.51 लाख का व्यय संभावित है यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा । पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क.	पदनाम	वेतनमान	पदसंख्या
1.	अधीक्षक	4000-6000	1
2.	रसोईया/पानीवाला	कलेक्टर दर पर	2
3.	चौकीदार	कलेक्टर दर पर	1

अतः इस प्रयोजन के लिये रूपये 100-100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

राज्य शासन द्वारा पूर्व माध्यमिक शाला खैरवार जिला सरगुजा को पूर्व माध्यमिक शाला मुरकौल, 50 सीटर प्री-मैट्रिक अ.जा. कन्या छात्रावास जिला जांजगीर को बलौदा जिला जांजगीर एवं 50 सीटर प्री-मेट्रिक अ.जा. बालक छात्रावास रतनपाल जिला बस्तर को नूतन पाल जिला बस्तर में स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100-100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2210

मद कमांक 7

भारत शासन द्वारा स्वास्थ्य केन्द्रों में निर्मित 10 विस्तर युक्त नेत्र वार्ड एवं आपरेशन कक्ष, स्टाफ कक्ष के लिये रूपये 5.00 लाख उपलब्ध कराया गया है

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 8

भारत सरकार द्वारा 8 एलोपैथिक जिला चिकित्सालयों में आयुष विंग, 24 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्पेशलिटी आयुर्वेद क्लीनिक एवं 19 एलोपैथिक चिकित्सालयों के स्पेशलाइज्ड थैरोपी सेन्टर की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 5,37,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 9-11

सीपत जिला-बिलासपुर के अंतर्गत मटियारी में उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु रूपये 4.04 लाख का व्यय संभावित है

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 4,04,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2403

मद कमांक 12

राज्य शासन के निर्णयानुसार कार्यभारित/आकस्मिक निधि के कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु राशि रूपये 17.25 लाख का व्यय संभावित है । व्यय विभागीय बजट से पुर्नविनियोजन कर किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4225

मद कमांक 13-14

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विशेष घटक योजना क्षेत्रों में छात्रावास एवं आश्रम भवनों के निर्माण (नवीन एवं अपूर्ण) कार्यो हेतु रूपये 200.00 लाख स्वीकृत किये गये हैं । इस हेतु बजट में प्रावधान नहीं है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4235

मद कमांक 15

विशेष घटक परियोजना अंतर्गत कार्यालय संसाधन भवनों के निर्माण हेतु राशि रूपये 120.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।